इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 442] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 सितम्बर 2013—भाद्र 28, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2013

सूचना

क्र. एफ 6-4-13-उन्तीस-2.—मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (क्रमांक 1 सन् 2010) की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन पश्चात् विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

1. नियम 7 में,—

(क) उप नियम (1) में, शब्द ''बांट'' के स्थान पर, शब्द ''पैकेज या बांट'' स्थापित किये जाएं.

(ख) उप नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(3) विधिक मापविज्ञान अधिकारी, किसी ऐसे बांट या माप या पैकेज को, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध किया जा रहा हो या किया गया प्रतीत होता हो या ऐसे अपराध कारित करने के लिये उसका उपयोग आशयित या संभावित है तो वह उसे अभिगृहीत और निरूद्ध कर सकता है और ऐसे बांट या माप द्वारा बेचे गये या प्रदत्त या बिकवाए या प्रदत्त करवाए गये माल को भी अभिगृहीत एवं निरुद्ध कर सकता है तथा संबंधित व्यक्ति से, संबंधित दस्तावेज या अन्य अभिलेख को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति इसका अनुपालन करेगा.''.

2. नियम 9 में,—

(क) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(1) बांट या माप का प्रत्येक विनिर्माता या मिस्त्री या व्यापारी, अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त अधिकृत किया जाए, अनुसूची—एक में उपवर्णित समुचित प्ररूप में आवेदन करेगा. नियंत्रक, विनिर्माता या मिस्त्री, अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये अर्हताएं विनिर्दिष्ट कर सकेगा :

परन्तु किसी निर्माता को अपने द्वारा निर्मित किसी बांट या माप का, निर्माण किए जाने के राज्य से भिन्न किसी राज्य में उपयोग होने पर, इसके सुधार करने के लिये अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ऐसे निर्माता को संबंधित विधिक मापविज्ञान अधिकारी को सुधार कार्य के बारे में अग्रिम में सूचना देना आवश्यक होगा.

(ख) उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) बांट या माप का प्रत्येक अनुज्ञप्त विनिर्माता या मिस्त्री या व्यापारी अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की समाप्ति से तीस दिन पहले नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये अनुसूची—दो में उपवर्णित समुचित प्ररूप में आवेदन करेगा जिसमें असफल होने पर अनुसूची—चार में विनिर्दिष्ट दरों के आधे पर अतिरिक्त शुल्क देय होगा :

परन्तु अनुसूची—चार में विनिर्दिष्ट दर की पूर्ण दर पर अतिरिक्त फीस आवेदक द्वारा देय होगी यदि उसे अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिये नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञात किया जाता है.".

(ग) उप नियम (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अन्त:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(11) जहां अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्ति का कारबार, यथास्थिति, उत्तराधिकार से निर्वसीयती से या वसीयत पारेषित होता है तो यथास्थिति ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी या वारिस ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के कारोबार को स्वयं के नाम पर या अन्य किसी के नाम पर नहीं करेगा जब तक कि वारिस या वसीयतदार, ऐसे पारेषण की तारीख के पश्चात् साठ दिन समाप्त होने के पूर्व, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये नियंत्रक को आवेदन नहीं देता है :

परन्तु यह कि इन नियमों में की कोई भी बात वारिस या वसीयतदार का उपरोक्त साठ दिन के लिए ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के रूप में व्यापार प्रतिषिद्ध नहीं करेगी यदि उसने ऐसी अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया है तो जब तक कि उसे अनुज्ञप्ति जारी नहीं कर दी जाती या नियंत्रक द्वारा लिखित में यह सूचित नहीं कर दिया जाता कि, उसे अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकती.

(12) अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त किसी व्यक्ति का कारोबार विक्रय, दान और पट्टे अथवा अन्यथा द्वारा स्थानांतरित होता है तो यथास्थिति, अंतरिती या पट्टेदार अपने स्वयं के नाम से अथवा अन्य किसी नाम से ऐसा कारोबार तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने ऐसे कारोबार करने के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त न कर ली हो.".

3. नियम 12 में, उपनियम (2) में,—

(क) परंतुक में, शब्द "रिपोर्ट" के स्थान पर, शब्द "फीस का भुगतान कर अनुरोध" स्थापित किए जाएं.

(ख) खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(दो) पूर्व से संस्थापित व सत्यापित बांट या माप की दशा में, उस तारीख से, जिसको सत्यापन अपेक्षित है, कम से कम तीस दिन पहले."

(ग) उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2क) किसी उपयोक्ता के अनुरोध पर और अनुसूची-आठ में विनिर्दिष्ट फीस की दस गुना फीस का भुगतान करने के पश्चात् किसी बांट या माप का सत्यापन, यथोचित् द्वितीयक मानक बांट या माप से, द्वितीयक मानक बांट व माप के प्रभारी विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा या अधीनस्थ स्टाफ की सहायता से किया जाएगा तथा ऐसे ब्यौरे सम्मिलित करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा."

4. नियम 13 में उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) विधिक मापविज्ञान अधिकारी, विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम, 2011 में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार बांट या माप की जांच करेगा और यदि जांच और सत्यापन के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा बांट या माप इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप है, तो ऐसे बांट या माप को विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम, 2011 में और नियंत्रक द्वारा जारी निर्देशों में नियत किए गए स्थान पर, नियंत्रक द्वारा जारी की गई एक ही प्रकार की डिजाइन की स्टाम्प से स्टाम्पित करेगा, जिसमें प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए उस विधिक मापविज्ञान अधिकारी का, जो उसे स्टाम्पित करता है, आबंटित संख्यांक दिया हुआ होगा :

परंतु यदि किसी बांट या माप के आकार या स्वरूप के कारण उस पर स्टाम्प लगाना वांछनीय या साध्य नहीं है तो विधिक मापविज्ञान अधिकारी ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी नियंत्रक, लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे."

5. नियम 15 में, उप नियम (2) में, शब्द "आधी" का लोप किया जाए.

6. नियम 19 में, उप नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(5) प्रत्येक बांट या माप को साफ सुथरी हालत में और प्रकाश की उचित व्यवस्था में रखा जाएगा. तौल यंत्र ऐसी रीति में रखा होना चाहिए जिससे कि उपभोक्ता को तौल प्रक्रिया स्पष्ट दिखाई दे."

7. नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"24 **आवेदन आदि के लिए प्रक्रिया.**—इन नियमों में अपेक्षित कोई आवेदन अथवा रिपोर्ट आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में या ऐसे अन्य रूप में, जैसा कि नियंत्रक आदेश करें, प्रस्तुत की जाएगी.".

8. अनुसूची आठ में,—

(क) अनुक्रमांक (2) में, मद "100 लीटर या उससे अधिक" के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"पहले 100 लीटर के लिये 100 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए 20 रुपए.".

(ख) अनुक्रमांक (3) में, मद (ख) में, शब्द "मीटर" जहां कहीं भी आया है, के स्थान पर, शब्द "प्रति दस मीटर या उसके भाग" स्थापित किए जाएं.

(ग) अनुक्रमांक (19) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"(19) स्टोरेज टैंक्स एवं वाट्स : 25,000 लीटर तक रुपए 5,000 और 25,000 लीटर से अधिक प्रत्येक 100 लीटर या उसके भाग के लिए रुपए 20 अधिकतम रुपए 25,000 के अध्यधीन रहते हुए"

9. अनुसूची दस के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"अनुसूची-दस

(नियम 23 देखिए)

अपराधों के प्रशमन के लिए राशि

अनुक्रमांक (1)	अपराध की प्रकृति (2)	धारा (3)	दाण्डिक धारा (4)	अधिकतम प्रशमन राशि रुपये (5)
1	मानक बांट, माप या संख्यांक से भिन्न बांट, माप या संख्यांक का उपयोग करना.	8(3)	25	5,000
2	मानक के गैर अनुरूप बांट या माप का निर्माण/आयात करना	8(4)	27	10,000
3	मानक के गैर अनुरूप बांट या माप का विक्रय करना	27	27	5,000
4	विहित बांट, माप या संख्या से भिन्न द्वारा वस्तु के सम्बन्ध में संव्यवहार या सौदा या संविदा करना.	10	28	2,000
5	बांट या माप या संख्यांक की मानक इकाई से भिन्न कोटेशन आदि.	11	29	2,000
6	रूढ़ि, प्रथा, व्यवहार या पद्धति जो कम या अधिक मांग करना या प्राप्त करना अनुज्ञात करती हो.	12	30	5,000
7	संविदा या अनुबंध में विनिर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा की मांग करना या किसी वस्तु या चीज को अतिरिक्त में प्राप्त करना.	30	30	5,000
8	दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत न करना	15(2)	31	5,000
9	निर्माता, व्यापारी अथवा मिस्त्री द्वारा अभिलेखों, पंजियों के संधारण का अनुपालन तथा मांगे जाने पर बांट, माप, दस्तावेज, पंजी प्रस्तुत नहीं करना.	17	31	5,000
10	निर्माता/आयातकर्ता द्वारा प्री पैकबंद वस्तु के संबंध में घोषणा का अननुपालन.	18(1)	36(1)	25,000
11	विक्रेता/थोक विक्रेता अथवा निर्माता/आयातकर्ता से भिन्न व्यक्ति द्वारा प्री पैकबंद वस्तु के संबंध में घोषणा का अननुपालन.	18(1)	36(1)	5,000
12	निर्माता/आयातकर्ता द्वारा प्री पैकबंद वस्तु की शुद्ध मात्रा की अपेक्षाा का अननुपालन.	18(1)	36(2)	50,000
13	विक्रेता/थोक विक्रेता अथवा निर्माता/आयातकर्ता से भिन्न व्यक्ति द्वारा प्री पैकबंद वस्तु की शुद्ध मात्रा की अपेक्षा का अननुपालन.	18(1)	36(2)	10,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	बांट या माप का अनुज्ञप्ति सहित ही निर्माण	23	45	5,000
15	बांट या माप का अनुज्ञप्ति प्राप्ति पर ही मरम्मत/ विक्रय का अननुपालन.	23	46	2,000
16	असत्यापित बांट या माप का संव्यवहार या संरक्षण में उपयोग.	24	33	5,000
17	असत्यापित बांट या माप का विक्रय	33	33	10,000
18	अमानक बांट या माप द्वारा वस्तु का विक्रय अथवा प्रदाय	34	34	5,000
19	धारा 35 अमानक बांट या माप द्वारा सेवा प्रदायगी	35	35	5,000
20	अनुज्ञप्ति से छेड़छाड़	47	47	5,000
21	अधिनियम के अधीन बने किसी नियम का प्रावधान	53(3)	53(3)	2,000

NOTICE

No. F 6-4-2013-XXIX-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011 which the State Government in consultation with the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010) is hereby published as requried by sub-section (4) of the said Section for the information of all the person likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consederation after the expiry of a period of 30 days from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any persons with respect to the said draft before the expiry of the period specfied above will be considerd by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

1. In rule 7,—

(a) in sub rule (1), for the word "weight", the words "package or weight" shall be substituted;

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) A Legal Metrology Officer may seize and detain any weight or measure or package in relation to which an offence under this Act is being, or appears to have been committed, or which is intended or likely to be used in the commission of such offence, and may also seize and detain any goods sold or delivered, or cause to be sold or delivered, by such weight or measure and may require to produce the related document or record from the concerned person and the person concerned shall comply with.".

2. In rule 9,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) Every manufacturer or repairer of, or dealer in, weights or measures shall make an application for the issue of a licence to the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf, in the appropriate form set out in Schedule I. The Controller may specify the qualifications required for issuing manufacturer and repairer licence:

Provided that no licence to repair shall be required by a manufacturer to repair weights or measures manufactured by him and used in a State other than the State manufacture of the same, but the manufacturer has to inform in advance the concerned Legal Metrology Officer about the repairing.".

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Every licenced manufacturer or repairer of, or dealer in weights or measures shall make an application for the renewal of the licence within thirty days before the expiry of validity of the licence to the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf, in the appropriate form set out in Schedule II, failing which an additional fee at half the rates specified in Schedule IV shall be payable:

Provided that in an additional fee at full the rates specified in Schedule IV shall be payable by the applicant if he is permitted by the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf to make an application for the renewal of a licence within a period of three months from the date of expiry of the licence.".

(c) after sub-rule (10), the following sub-rules shall be inserted namely :—

"(11) Where the business of a person licensed under the Act is transmitted by succession, intestate or testamentary, the heir or legatee, as the case may be, of such person shall not carry on the business of such licensee either in his own name or in any other name,unless the heir or legatee has, before the expiry of sixty days after the date of such transmission, made to the Controller an application for the issue of a licence in accordance with the provisions of this Act:

Provided that nothing in these rules shall be deemed to prohibit the heir or legatee from carrying on business as such licensee for the aforesaid period of sixty days, and, if he has applied for such licence, until he is granted the licence or is, by a notice in writing informed by the Controller that such licence cannot be granted to him.

(12) Where the business of any person licensed under this Act, is transferred by sale, gift, and lease or otherwise, the transferee or lessee, as the case may be, shall not carry on such business either in his own name or in any other name, unless he has obtained a licence to carry on such business.".

3. In rule12, in sub-rule (2),—

(a) in the proviso, for the word "report" the words "request by depositing the fee" shall be substituted.

(b) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(ii) in case of earlier installed and verified weight or measure at least thirty days in advance of the date on which the verification falls due.";

(c) after sub-rule (2), the following sub rule shall be inserted namely :—

"(2a) On request of the user and after payment of ten times of the fees specified in Schedule-VIII verification of a weight or measure shall be done against the appropriate Secondary Standards by the Legal Metrology Officer-in-Charge of Secondary Standards weights or measures or with assistance of his subordinate staff and a certificate containing such details shall be issued."

4. In rule 13, for sub-rule (1), the following sub rule shall be substituted, namely:—

"(1) The Legal Metrology Officer shall test a weight or measure as per the procedure provided in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and if he is satisfied after testing and verification, that such weight or measure conforms to the standards established by or under the Act, stamp such weight or measure at the place specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and directions issued by the Controller, with a stamp of uniform design, issued by the Controller, which shall indicate the number allotted for administrative purpose to the Legal Metrology Officer by whom it is stamped :

Provided that if by reason of the size or nature of any weight or measure it is not desirable or practicable to put a stamp thereon, the Legal Metrology Officer shall take such action as may be directed by the Controller by a general or a special order in writing.".

5. In sub-rule (2) of rule 15, the word "half" shall be omitted.

6. In rule 19, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(5) Every weight or measure shall be used in a clean condition and in proper lighting arrangement. Further the weighing instrument should be placed in such a way that the process of weighing should be clearly visible to the consumer.".

7. after rule 23, the following rule shall be inserted namely :—

"24. **Procedure for application etc.**—Any application or report etc. required in these rules may be submitted in electronic form or such other form as the Controller may order.".

8. In schedule VIII,—

(a) in serial number (2), against item 100 l. and above for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 100 for the 1st 100 liter plus Rs. 20 for every additional 100 liter or part thereof.".

(b) in serial number (3), in item (b), for the word "metre" wherever they occur, the figure and words "10 meter or part thereof" shall be substituted.

(c) for serial number (19) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"(19) **Storage Tanks and Vats :** Rs. 5000 for upto 25,000 Litres plus Rs. 20 per 100 Litres or part thereof above 25,000 Litres, subject to maximum of Rs. 25,000."

9. For the existing Schedule-X, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE–X
(See rule 23)

Compounding sum for various offences

Sr. No.	Nature of offence	Section	Penal Section	Maximum compounding amount Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Use of weight, measure or numeration other than the Standard weight measure or numeration.	8 (3)	25	5000
2	Manufacture / import of weight or measure not conforming to Standards.	8 (4)	27	10,000
3	Sale of weight or measure not conforming to Standards	27	27	5000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Transaction or dealing or contract in respect of goods etc. by weight measure or number otherwise than prescribed.	10	28	2000
5	Quotation etc. otherwise than standard unit of weight or measure or numeration.	11	29	2000
6	Custom usage practice or method permitting to demand, receive in excess or less.	12	30	5000
7	Demanding or receiving any article or thing on service in excess or less than the quantity specified in contract or agreement.	30	30	5000
8	Non-production of document or record.	15(2)	31	5000
9	Non-compliance of Maintenance of records, registers by manufacturer dealer or repairer and non-production of weight, measure, document, register on demand.	17	31	5000
10	Non-compliance of declaration in respect of pre-packaged commodity by manufacturer / importer.	18 (1)	36 (1)	25,000
11	Non-compliance of declaration in respect of pre-packaged commodity by retailer / wholesaler / any person other than manufacturer / importer.	18 (1)	36 (1)	5000
12	Non-compliance of net quantity- requirement of pre-packaged commodity by manufacturer / importer.	18 (1)	36 (2)	50,000
13	Non-compliance of net quantity- requirement of pre-packaged commodity by retailer / wholesaler / any person other than manufacturer / importer.	18 (1)	36 (2)	10,000
14	Non-compliance Manufacturer of weight or measure with licence.	23	45	5000
15	Non-compliance of Repair / Sale of weight or measure with licence.	23	46	5000
16	Use of Un-verified weight or measure in transaction or protection.	24(1)	33	5000
17	Sell of Un-verified weight or measure.	33	33	10,000
18	Sell or delivery of commodities by non-standards weight or measures.	34	34	5000
19	Rendering services by non-standard weight or measure	35	35	5000
20	Tampering with licence	47	47	5000
21	Provision of any rules made under the Act.	53 (3)	53 (3)	2000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चंदेल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.